मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०२२

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४९ में, उपधारा (७-क) में, खण्ड (ख) में, द्वितीय परंतुक में, शब्द ''केन्द्रीय सोसाइटी'' के पश्चात्, शब्द ''या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी'' अन्त:स्थापित किए जाएं. **धारा ४९ का संशोधन.**

३. मूल अधिनियम की धारा ५३ में,— **धारा ५३ का संशोधन.**

(एक) उपधारा (१) में, द्वितीय परंतुक में, शब्द ''केन्द्रीय सोसाइटी'' के पश्चात्, शब्द ''या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी'' अन्त:स्थापित किए जाएं;

(ग) उपधारा (१२) में, द्वितीय परंतुक में, शब्द ''केन्द्रीय सोसाइटी'' के पश्चात्, शब्द ''या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी'' अन्त:स्थापित किए जाएं;

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में बड़ी संख्या में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों में निर्वाचित संचालक मंडल विद्यमान नहीं हैं. उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा संचालित किए जाने शेष हैं.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) की धारा ४९ (७-क) और धारा ५३ के अधीन, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी को कतिपय परिस्थितियों के अधीन सहकारी सोसाइटियों में प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति है. तद्नुसार, रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों में भी कार्यपालिक तृतीय श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है.

३. वर्तमान में, बड़ी संख्या में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियां राज्य सहकारी अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त प्रशासकों द्वारा चलाई जा रही हैं, किन्तु शासकीय कर्मचारियों की सीमित संख्या होने के कारण प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों में नियुक्त प्रशासक को औसतन कम से कम ६ से १० सोसाइटियों का प्रबंधन करना पड़ता है.

४. प्रशासक की सहायता हेतु पांच व्यक्तियों की एक समिति के गठन के लिए धारा ४९ (७-क), धारा ५३ (१) और धारा ५३ (१२) में उपबंध है, किन्तु वे उपबंध केवल शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी के लिए लागू हैं. ये उपबंध प्राथमिक सोसाइटियों के लिए लागू नहीं हैं. प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के सुचारू संचालन के लिए समान उपबंध बनाया जाना प्रस्तावित है.

५. अतएव, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

६. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १९ दिसम्बर, २०२२.

डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया
भारसाधक सदस्य.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) से उद्धरण.

धारा ४९ (७-क) (क) संचालक मंडल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मंडल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पांच वर्ष होगा.

(ख) संचालक मंडल के कार्यकाल के ५ वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मंडल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गए समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा और छह मास की कालावधि के भीतर संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करवाएगा:

परन्तु सहकारी बैंक की दशा में, रजिस्ट्रार या प्रशासक एक वर्ष की कालावधि के भीतर बैंक के संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करवाएगा.

परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में प्रशासक को उसके पदीय कर्त्तव्यों के निवर्हन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा. अर्थात् :—

(क) उक्त सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह हों;

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि;

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.

(ग) विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी सोसाइटी का निर्वाचन कराये जाने की अवधि को कुल मिलाकर एक वर्ष्ज्ञ से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी.

(घ) अन्य सोसाइटी के लिए संचालक मंडल द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल, सोसाइटी के संचालक मंडल के कार्यकाल के साथ-साथ चलेगा;

परन्तु यदि ऐसे प्रतिनिधि अन्य सोसाइटी के संचालक मंडल में सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं, उस सोसाइटी के संचालक मंडल के, जिसके लिये वे निर्वाचित हुए हैं, कार्यकाल की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे.

* * * * *

धारा ५३ संचालक मंडल का अतिष्ठान (१) यदि रजिस्ट्रार की राय में किसी सोसाइटी का संचालक मंडल,—

(क) निरन्तर व्यतिक्रम करता है; या

(ख) इस अधिनियम या उस सोसाइटी की उपविधियों द्वारा या उनके अधीन या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षावान है या ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए रजामंद नहीं है; या

(ग) ऐसे कार्य करता है जो इस सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल हैं; या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों का या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश का अतिक्रमण करता है; या

(ङ) किसी सोसाइटी के संचालक मंडल के गठन में या कृत्यों में कोई गतिरोध है, तो रजिस्ट्रार, लिखित में आदेश द्वारा संचालक मंडल को हटा सकेगा और सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए एक विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए जो छह मास से अधिक नहीं होगी और सहकारी बैंक की दशा में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगा.

परन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए प्रशासक की पदावधि कुल एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी.

परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में, प्रशासक को उसके पदीय कर्त्तव्यों के निवर्हन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) उक्त सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह हों;

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि;

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.

परन्तु यह भी कि ऐसी किसी को-आपरेटिव सोसाइटी के संचालक मंडल को अतिष्ठित नहीं किया जाएगा अथवा निलम्बित नहीं रखा जावेगा जहां सरकार का कोई अंश न हो अथवा सरकार द्वारा कोई ऋण या वित्तीय सहायता अथवा गारंटी न दी गई हो अथवा सोसाइटी सरकार द्वारा प्रायोजित कारबार करती है या केन्द्र या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में क्रियाकलाप किया हो और उपरोक्त दो कारोवारों से संयुक्तत: या पृथकत: उसके कुल कारबार का ५० प्रतिशत से अधिक टर्न ओवर न हो:

परन्तु यह भी कि सहकारी बैंक के मामले में, अधिक्रमण का आदेश रिजर्व बैंक से पूर्व परामर्श किए बिना पारित नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि रिजर्व बैंक से परामर्श करना बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का १०) के उपबंधों तक सीमित होगा :

परन्तु यह और भी कि प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में यदि कोई ऐसी संसूचना, जिसमें रिजर्व बैंक के विचार अंतर्विष्ट हों, उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्श चाहा गया हो, उस बैंक को प्राप्त होने के ३० दिन के भीतर प्राप्त न हो, तो यह उपधारणा की जाएगी कि रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है तथा रजिस्ट्रार ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा:

परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रार के रिजर्व बैंक के अभिमत से सहमत न होने की दशा में, वह लिखित कारण दर्शाते हुए आदेश पारित कर सकेगा.

* * * * *

(१२) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सोसाइटी का संचालक मंडल किसी न्यायालय के आदेश के कारण या विहित गणपूर्ति के अभाव में कार्य करने से प्रविरत हो जाए, तो रजिस्ट्रार उस समय तक के लिए संचालक मंडल के स्थान पर प्रशासक को अस्थाई रूप से नियुक्त कर सकेगा जब तक कि न्यायालय का आदेश बातिल न हो जाए या नवीन निर्वाचन न हो जाए तथा संचालक मंडल कार्यभार ग्रहण न कर ले:

परन्तु यदि सोसाइटी यथाविहित गणपूर्ति के अभाव में कार्य करने से प्रविरत हो जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक छह माह की कालावधि के भीतर और सहकारी बैंक की दशा में ऐसे प्रशासक की नियुक्ति की तारीख से, एक वर्ष की कालावधि के भीतर, निर्वाचन कराएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संचालक मंडल प्रभार ग्रहण करे:

परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में, प्रशासक को उसके पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) उक्त सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह हों;

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि;

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.

परन्तु यह और कि विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, उसके कारण दर्शाये जाने पर, कुल एक वर्ष से अनाधिक कालावधि के अध्याधीन रहते हुए, एक बार में छह माह से अनाधिक के लिए सोसाइटी का निर्वाचन आगे बढ़ा सकेगी:

परन्तु यह और भी कि, सहकारी बैंक के मामले में, प्रशासक की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार द्वारा रिजर्व बैंक को भेजी जाएगी.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.